


क्रमांक:-स्था(16)(24)(2)विविध/उच्चशिक्षा/मंत्रा./अभि/21/10292- दिनांक:-20/10/2021  
308

—: आदेश :-

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायको को उनके नाम के सम्मुख अंकित उच्च शिक्षा एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निर्देशानुसार निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम एवं कार्यालय का नाम	परीक्षा का नाम जिसके लिए अनुमति प्रदान की जा रही है।	परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम	स्वयंपाठी/ नियमित
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री रामलाल मीणा, कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., द्वितीय जयपुर शहर	M.A. first year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	राजस्थान विश्वविद्यालय	स्वयंपाठी
2.	श्री अभिषेक श्रोत्रिय कनिष्ठ सहायक, कार्या. अभियोजन निदेशालय जयपुर	M.B.A. (Finance) 2021 परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	VMOU, Kota	स्वयंपाठी
3.	श्री मनीष कुमार डामोर कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., प्रतापगढ़	B.ed-second year परीक्षा वर्ष 2021 हेतु	राजकीय डुगर कॉलेज बीकानेर	नियमित
4.	श्री योगेश कटारा कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., भरतपुर	M.Sc. first year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	VMOU, Kota	पत्राचार
5.	श्री राजपाल सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., झुन्झुनु	M.A. first year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	पंडित दीनदयाल शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर	स्वयंपाठी
6.	श्री नीरज परमार कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., जैसलमेर	B.A. Final year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	VMOU, Kota	स्वयंपाठी
7.	श्री कुलदीप चौधरी कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., बीकानेर	M.A. first year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर	स्वयंपाठी
8.	श्रीमती वैदांगी भाटी कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., डूंगरपुर	M.Sc. Final परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	VMOU, Kota	स्वयंपाठी
9.	नीतू मीना कनिष्ठ सहायक, कार्या. सहा. निदे. अभि., सवाई माधोपुर	M.A. first year परीक्षा वर्ष 2020-21 हेतु	VMOU, Kota	स्वयंपाठी

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानांतरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।

  
8/10/21


8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.2021 के अतिरिक्त परीक्षा की तैयारी एवं अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

sd

(प्रशान्त चौधरी)  
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन  
(न्याय), राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/द्वितीय जयपुर शहर / झुन्झुनु/सवाई माधोपुर/डूंगरपुर/भरतपुर।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :- सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
3. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन  
(न्याय), राजस्थान जयपुर